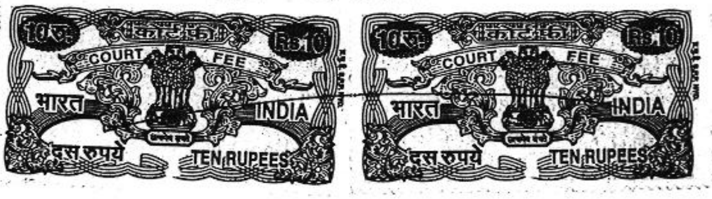


(14)

# न्यायालय माननीय राजस्व मंडल महोदय संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश

R- 2577-II/2012

प्रं. कं. /2012 निगरानी

(1) मोहन पुत्र भीका आयु 24 वर्ष हरिजन
(2) प्रमोद पुत्र भीका आयु 22 वर्ष हरिजन
धंधा खेती निवासीगण ग्राम सावंलहेंडा परगना मुंगावली जिला – अशोकनगर म0प्र0
............. निगरानीकर्तागण

Recd 16.08.12

बनाम

(1) सोनूगिरी पुत्र लखन गिरी आयु 26 वर्ष
(2) दशरथगिरी पुत्र करण गिरी आयु 35 वर्ष
(3) ब्रम्हगिरी पुत्र करण गिरी आयु 32 वर्ष
समस्त जाति गोंसाई निवासीगण सावंलहेडा परगना मुंगावली जिला – अशोकनगर म0प्र0
(4) भीका पुत्र मुन्ना आयु 64 वर्ष हरिजन निवासी ग्राम सांवलहेडा परगना मुंगावली जिला – अशोकनगर म0प्र0
................ प्रतिनिगरानीकर्तागण

S.L. Dhakad Adv 16/8/12

**निगरानी आधीन धारा 50 म0प्र0 भू.रा.सं. 1959 विरूद्ध श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 61/2009–10 निगरानी मे पारित आदेश दिनांक 09/05/2012 के विरूद्ध निगरानी**

माननीय महोदय,

सेवा मे सादर निगरानी निम्न आधारो पर प्रस्तुत है –

(1) यह कि अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर अशोकनगर के न्यायालय मे तहसीलदार महोदय मुंगावली के न्यायालयीन प्रकरण कमांक 35 अ6/09–10 मे पारित आदेश दिनांक07/08/2010 के विरूद्ध पक्षकार न बनाये जाने से असंतुष्ट होकर निगरानी प्रकरण प्रस्तुत किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से अवैधानिक रूप से निरस्त किया गया है पारित आदेश विधि संगत न होने से निरस्ती योग्य है ।

(2) यह कि विवादित भूमि स्थित ग्राम सांवलहेडा सर्वे कं. 397 रकवा 1.223 हे0 भूमि जो कि निगरानीकर्तागण को पारिवारिक विभाजन मे संयुक्त कौटुम्बिक सम्पत्ति होने से प्राप्त हुई है और निगरानीकर्तागण ही काबिज होकर खेती कर फसल लाभ लेते चले आ रहे है । उक्त भूमि का प्रतिनिगरानीकर्तागण 1 लगायत 3 के द्वारा कमांक 4 को धोखा देकर बैंक मैनेजर स्टेट बैंक शाखा ओंडेर से सांठगांठ करके रहन भूमि का विकयपत्र बिना प्रतिफल दिये कराया गया है जिसका कि उन्हे वैधानिक रूप से कय करने व कमांक 4 को विकय करने का अधिकार नही रहा है उक्त फर्जी विकयपत्र के आधार पर तहसीलदार न्यायालय मुंगावली मे प्रचलित नामांतरण प्रकरण मे निगरानीकर्तागण को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई किये जाने बाबत् आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे तहसीलदार न्यायालय ने 07/08/2010 को निरस्त किया गया जिसकी निगरानी अपर कलेक्टर न्यायालय अशोकनगर मे प्रस्तुत की गई जिसे

(3) मोहन प्रमोद

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण कमांक**–निगरानी–2577–दो / 2012 जिला–अशोकनगर

मोहन भीका व अन्य विरूद्ध सोनूगिरी आदि

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 6–08–2019 | प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 61 / 2009–10 / निगरानी में पारित आदेश दिनांक 09–05–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।<br>2/ पक्षकार दिनांक 05–09–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।<br><br>(जे0के0 जैन)<br>सदस्य | |